राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्लॉट संख्या–ए01, आई0टी0 पार्क
सहस्त्रधारारोड, देहरादून
ई–मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक : रा0स्वा0प्रा0 / 2020–21 / Hosp.EMP/ 168

प्रेषित,   दिनांक : 14, मई 2021

समस्त कोविड उपचार हेतु नियत चिकित्सालय (DCHC)
(PMJAY/AAUY के अन्तर्गत)
उत्तराखण्ड।

विषयः प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एवं (SGHS) State Government Health Scheme के अर्न्तगत कोविड–19 मरीजों को उपचार न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक सं0 स्वा0प्रा0 / 2020–21 / HOSP FMP / 49, दिनांक 07–05–2021 का संदर्भ ग्रहण करे जिसमें अवगत करवाया गया था आयुष्मान योजना के अंतर्गत पॉटल पर कोविड–19 हेतु पैकेज उपलब्ध करा दिया गया है जिसके अंतर्गत कोविड–19 मरीजों का उपचार किया जाना है। **राज्य सरकार द्वारा कोविड उपचार हेतु नियत चिकित्सालय जो PMJAY/AAUY/SGHS के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं उनके द्वारा कोविड–19 मरीजों का निशुल्क उपचार किये जाना अनिवार्य है।**

निम्न प्रारूप पर कोविड–19 मरीजों की सूचना पत्र प्राप्ति के 24 घंटो के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Sr. No	Name of patient	PMJAY-ID	Address	Contact No	Type of Disease			Date of Admission	Date of Discharge	Bill Amount
					Moderate	Severe	Very severe			
1										
2										

कृपया बिन्दुवार कोविड–19 मरीजों को निशुल्क उपचार प्रदान करें।

1. किसी परिस्थिति में यदि आयुष्मान कार्ड धारक से धनराशि ली गयी है तो वह धनराशि मरीज को तुरन्त वापस कर दी जाये एवं व्यय धनराशि का क्लेम राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रेषित किया जाये। जिसका back date में pre auth लिया जाये जिसे अनुमोदित कर शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा। आयुष्मान कार्ड धारक जो काफी समय पूर्व डिस्चार्ज हो चुका है और उससे धनराशि ली गयी थी वह धनराशि तुरंत लाभार्थी को वापस कर दी जाये एवं व धनराशि का क्लेम राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रेषित किया जाये। ऑफलाइन mode में धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा। इस आशय का proof भी दिया जाये कि लाभार्थी को धनराशि वापस कर दी गयी है।
2. कतिपय आयुष्मान कार्ड धारक जो आतिथि तक आपके चिकित्सालय में उपचार ले रहें है और यदि लाभार्थी द्वारा अपना आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत नही किया गया है तो उनसे कार्ड लेके लाभार्थी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत करना शुरू करें। जिस हेतु pre auth राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से ले लिया जाये।
3. प्रत्येक कोविड मरीज को आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा जाये, यदि मरीज आयुष्मान कार्ड धारक है तो उसका निशुल्क उपचार किया जाये।

उपरोक्त के संदर्भ में आपसे आशा है की आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क उपचार दिया जायेगा एवं उपचार के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गाईडलाइन एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत समुचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी।

भवदीय

(डॉ0 ए0 के0 गोयल)
निदेशक–हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।

पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।

(डॉ0 ए0 के0 गोयल)
निदेशक–हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।